

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल
क्रमांक 5406 / सम्पदा / भोविप्रा / 24

भोपाल, दिनांक 25/10/24

विभिन्न आकार के सिंग्लेक्स भवनों के विक्रय ऑनलाईन हेतु

ऑफर आमंत्रण

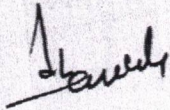
प्राधिकरण की स्वामी विवेकानन्द परिसर कटारा हिल्स, योजना स्थित रिक्त सिंग्लेक्स भवनों का विक्रय निम्न तालिकों में वर्णित होकर ऑनलाईन वेबसाइट <https://Vikaspradhikaran.mponline.gov.in> के माध्यम से ऑफर दिनांक 28-10-24 से दिनांक 11-11-24 तक आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित अवधि में प्राप्त ऑफर/आवेदन पत्र दिनांक 12-11-24 को खोले जायेंगे।

अनु क्र०	भवन इकाईयों का विवरण	भवन इकाईयों का उपयोग	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	आरक्षण की श्रेणी यदि आरक्षित हो	भवन इकाई की आरक्षित कीमत	पट्टे (लीज) पर या भूमिस्वामी अधिकारों पर व्ययन	वार्षिक पट्टा भाड़ा पट्टे लीज के प्रकरण में	निकष (पंजीयन राशि)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	A-28	आवासीय	135	सामान्य	66,59,488	-लीज-	सम्मिलित है।	6,65,949
2	D-159	आवासीय	112.50	सामान्य	57,35,992	-लीज-	सम्मिलित है।	5,73,600
3	D-140	आवासीय	135	सामान्य	66,59,488	-लीज-	सम्मिलित है।	6,65,949
4	D-138	आवासीय	135	सामान्य	66,59,488	-लीज-	सम्मिलित है।	6,65,949
5	D-152	आवासीय	112.50	सामान्य	57,35,992	-लीज-	सम्मिलित है।	5,73,600
6	A-27	आवासीय	135	सामान्य	66,59,488	-लीज-	सम्मिलित है।	6,65,949
7	D-160	आवासीय	112.50	सामान्य	57,35,992	-लीज-	सम्मिलित है।	5,73,600
8	D-139	आवासीय	135	सामान्य	66,59,488	-लीज-	सम्मिलित है।	6,65,949

आवंटन के नियम एवं शर्तें निम्नानुसार होगी :-

1. भवनों का स्थल पर निरीक्षण कर, ही प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
2. भवनों का क्षेत्रफल अनुमानित है।
3. सिंग्लेक्स भवन लीजहोल्ड पर विक्रय हेतु निर्धारित है।
4. समिति शुल्क, सेवा प्रभार की राशि पृथक से देय होगी।
5. भवनों की शेष राशि जमा करने की समयावधि आवंटन आदेशानुसार देय होगी, तथा आवंटन आदेश में वर्णित शर्तें मान्य होगी।
6. शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियम एवं शर्तें पंजीयनकर्ताओं/आवंटियों को मान्य करना अनिवार्य होगा।
7. वेबसाइट पर घोषित विज्ञापित की शर्तें मान्य होगी।
8. किसी भी प्रकार के वाद/विवाद की स्थिति में माननीय अध्यक्ष महोदय, भोविप्रा, भोपाल का निर्णय मान्य होगा।
9. समिति शुल्क, सेवा प्रभार पृथक से देय होगा तथा कॉर्नर शुल्क/24 मीटर रोड/पार्क फेसिंग के भूखण्ड पर निर्मित डूप्लेक्स भवनों के भूखण्ड मूल्य का कलेक्टर गाईड के अनुसार 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि कीमत में सम्मिलित है।

10. आयकर अधिनियम 194/1ए अनुसार 50 लाख से अधिक की सम्पत्ति पर 1 प्रतिशत आयकर (टीडीएस) की राशि ऑफर मूल्य पर कटौत कर आयकर कार्यालय में जमा कर फार्म 16-ए की एक प्रति प्राधिकरण में उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा ।
11. जी0एस0टी शासन नियमानुसार 5प्रतिशत देय होगी ।


सम्पदा अधिकारी
भोपाल विकास प्राधिकरण
भोपाल

जानकारी हेतु सम्पर्क करें ।

- 1-श्री रवि सिंह आई0टी0 (ऑनलाईन प्रक्रिया से संबंधित) मो0-8770234380
2-श्री उमेश वर्मा (सहा0यंत्री)(कटारा हिल्स) भवन/लोकेशन से संबंधित मो0-8770174853
3-श्री एस0आर0 कोगे (उपयंत्री) भवन/लोकेशन से संबंधित मो0-9893700744